महत्वपूर्ण

संख्या– 104 म.न.वि/9–1–12–203सा/10

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ.प्र.,लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2012

विषयः नगरीय स्थानीय निकायों में अनियमित ढंग से नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नागर निकायों में शासन के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त सफाई कर्मियों के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में, शासन की स्वीकृति के आधार पर तथा समय–समय पर मा0 न्यायालयों के पारित आदेशों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्तियां की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि नियम विरूद्ध एवं मनमाने ढ़ंग से स्वेच्छाचारी रूप से तथा निहित स्वार्थवश अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से शासन के आदेशो के विपरीत भी निकायों में संविदा के आधार पर अनेकों नियुक्तियां की गयी हैं, जिससे निकायों पर वित्तीय भार बढ़ गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के निर्देशो के अन्तर्गत, नियमानुसार भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त संविदा कर्मियों को छोड़ते हुए, समस्त नागर निकायों में नियमों के विपरीत अनियमित एवं मनमाने ढंग से रखे गये समस्त संविदा कर्मियों की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे किसी भी संविदा कर्मी को अगले माह से निकाय निधि से वेतन का आहरण न हो।

3. इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शासन के दिशा–निर्देशो, भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में तथा मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालन मे नियुक्त संविदा कर्मियों का विवरण संलग्न प्रारूप पर शासन को लौटती डाक से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–104 म.न.वि. (1)/9–1–2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत,उ.प्र.।
3. कम्प्यूटर सेल को website पर upload करने हेतु।
4. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या–104 म.न.वि. / 9–1–12–203सा / 10, दिनांक 23 जुलाई, 2012 का संलग्नकः–

प्रपत्र

प्रदेश के नागर निकायों मे नियुक्त संविदा कर्मियों का विवरण

शासन के दिशा–निर्देशो के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मी

क्रम	श्रेणी	संविदा कर्मियों की संख्या	संविदा में तैनाती की तिथि	कुल पारिश्रमिक धनराशि
1	समूह "घ" संविदा सफाई कर्मियों को छोड़कर			
2	समूह "घ" संविदा सफाई कर्मी			
3	समूह "ग" संविदा कर्मी			
4	समूह "क / ख" संविदा कर्मी			

भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में नियुक्त संविदा कर्मी

क्रम	योजना का नाम	संविदा कर्मी का नाम / पदनाम	संविदा में तैनाती की तिथि एवं अवधि	कुल पारिश्रमिक धनराशि
1				
2				
3				

मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालन में नियुक्त संविदा कर्मी

क्रम	श्रेणी	संविदा कर्मियों की संख्या	संविदा में तैनाती की तिथि	कुल पारिश्रमिक धनराशि
1	समूह "घ" संविदा सफाई कर्मियों को छोड़कर			
2	समूह "घ" संविदा सफाई कर्मी			
3	समूह "ग" संविदा कर्मी			
4	समूह "क / ख" संविदा कर्मी			